संख्या-2/1184/22-2-2014-25(94)/97टीसी-2

प्रेषक,

राम कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक अगस्त, 2014

विषय- क्रिमिनल जनहित याचिका संख्या-2357/1997 बच्चे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं सम्बद्ध क्रिमिनल अपील संख्या-2773/2005 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में 'प्रयास' टीम की अध्ययन रिपोर्ट का सम्प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में श्री विजय राघवन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, देवनार, मुम्बई का पत्र दिनांक 12-08-2014 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय/जिला कारागारों के निरीक्षण के उपरान्त टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, देवनार, मुम्बई की टीम 'प्रयास' द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति शासन को उपलब्ध कराते हुए क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 यूनियन आफ इण्डिया बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-07-2014 के आलोक में कृपया परीक्षण करके सिद्वदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार के सरकुलर के आधार पर शासनादेश निर्मित किये जाने का प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राम कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in